न्यायालय :–प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल, म.प्र.
–{समक्ष–चन्द्रदेव शर्मा}–

Cr.Revision. No.:–419/2018
संस्थापन दिनांकः–14/08/18
फाइलिंग नं. 252022018

1. एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
द्वारा : अशोक कुमार खोसला पिता स्व. श्री जोगिन्दरलाल,
संचालक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय 279, मेन स्ट्रीट, जिब्राल्टर

2. एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
द्वारा : अशोक कुमार खोसला पिता स्व. श्री जोगिन्दरलाल,
संचालक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
पता –पोस्ट बाक्स नंबर 7768, सेफ जोन, शारजाह, यू.ए.ई.

3. अशोक कुमार खोसला पिता स्व. श्री जोगिन्दरलाल,
संचालक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय 279, मेन स्ट्रीट, जिब्राल्टर

4. अशोक कुमार खोसला पिता स्व. श्री जोगिन्दरलाल,
संचालक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
पता–पोस्ट बाक्स नंबर 7768, सेफ जोन, शारजाह, यू.ए.ई.

5. अशोक कुमार खोसला पिता स्व. श्री जोगिन्दरलाल,
आयु 63 वर्ष, संचालक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
निवासी–44 लैंडिंग कोर्ट, मूर्स टाउन, न्यू जर्सी,
08057, यू.एस.ए. ....पुनरीक्षणकर्तागण

Cr.Revision. No.:–457/2018
संस्थापन दिनांकः–05/09/18
फाइलिंग नं. 276852018

समीर खोसला पिता श्री अशोक कुमार खोसला,
निवासी–44 लैंडिंग कोर्ट, मूर्स टाउन, न्यू जर्सी,
08057, यू.एस.ए.

......................पुनरीक्षणकर्ता

– : : वि रू द्ध : : –

पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड,
द्वारा : निदेशक, आई.एच. सिद्दीकी, आयु 78 वर्ष,
पता–प्रबंधन कार्यालय, पीपुल्स कैम्पस, भानपुर,
भोपाल म0प्र0, 462037

......................प्रत्यर्थी

न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी भोपाल श्री प्रकाश डामोर द्वारा उनके न्यायालय के आर.टी. प्रकरण कमांक–345/2018 में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2018 से उद्भूत

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री रजनीश बारिया अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री सुदीपराज सिंह अधिवक्ता।

– : : आदेश : : –
(आज दिनांकः– 25 फरवरी, 2019 को पारित)

1. दांडिक पुनरीक्षण याचिका क. 419/18 एवं 457/18 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री प्रकाश डामोर के आरसीटी 345/18 में पारित आदेश दिनांक 11/01/2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। दोनों ही पुनरीक्षण याचिकाएं एक ही आदेश से उद्भूत होने के कारण उक्त दोनों ही पुनरीक्षण याचिकाओं का निराकरण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2. दांडिक पुनरीक्षण क. 419/18 के पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से दिनांक 14/08/2018 को अंतर्गत धारा 397 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री प्रकाश डामोर के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक 345/2018 (पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) में पारित आदेश दिनांक 11.01.18 से व्यथित होकर दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से प्रस्तुत परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 120बी सहपठित धारा 34, 177, 182, 191, 192, 196, 294, 350, 383, 405, 418 एवं 425 भा.दं.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने हेतु दिनांक 02.08.17 को प्रस्तुत परिवाद पर उनके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 182, 294, 383, 418 का संज्ञान लिया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

3. दांडिक पुनरीक्षण क. 457/18 के पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से दिनांक 05/09/2018 को अंतर्गत धारा 397 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री प्रकाश डामोर के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक 345/2018 (पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध एलायंस

इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) में पारित आदेश दिनांक 11.01.18 से व्यथित होकर दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से प्रस्तुत परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 120बी सहपठित धारा 34, 177, 182, 191, 192, 196, 294, 350, 383, 405, 418 एवं 425 भा.दं.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने हेतु दिनांक 02.08.17 को प्रस्तुत परिवाद पर उसके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 182, 294, 383, 418 का संज्ञान लिया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

4. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से दिनांक 02.08.17 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री बी.डी. राठौर के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका क्र. 419/18 के पुनरीक्षणकर्तागण एवं पुनरीक्षण याचिका क्र. 457/18 के पुनरीक्षणकर्ता एवं विवेक गुलाटी पूर्व संचालक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 279, मेन स्ट्रीट, जिब्राल्टर, विवेक गुलाटी पिता श्री एस.एम. गुलाटी शाखा कार्यालय, पो. बा. नं. 7768, सेफ जोन, शारजाह, यू.ए.ई., विवेक गुलाटी पिता श्री एस.एम. गुलाटी निवासी अपार्टमेन्ट, 608, भगवान टॉवर्स, अलनहदा, दुबइ, यू.ए.ई., विवेक गुलाटी पिता श्री एस.एम. गुलाटी निवासी ए–41, न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी, नई दिल्ली को अभियुक्तगण बनाते हुए दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत परिवाद प्रस्तुत करते हुए उनके विरुद्ध धारा 120बी सहपठित धारा 34, 177, 182, 191, 192, 196, 294, 350, 383, 405, 418 एवं 425 भा.दं.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने हेतु परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 06, मालवीय नगर, भोपाल में स्थित है जहां से उसकी सामान्य गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण किया जाता है।

5. एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह अभियुक्त की कंपनी जो कि मूल्यवान धातुओं का क्रय एवं विक्रय के व्यवसाय में संलग्न है। उक्त कंपनी के वर्तमान् तथाकथित एकमात्र निदेशक श्री अशोक कुमार खोसला एक अप्रवासीय भारतीय हैं एवं उनका पुत्र श्री समीर खोसला दोनों 44, लैण्डिंग कोर्ट,

मूर्स टाउन, न्यू जर्सी–08057, यू.एस.ए. में निवास करते हैं। उक्त कंपनी के पूर्व निदेशक श्री विवेक गुलाटी अलनहदा–01, दुबाई, यू.ए.ई. एवं नई दिल्ली में निवासरत हैं।

6. एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा श्री अशोक कुमार खोसला प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के अंशधारक हैं एवं वर्तमान् में उनके नाम पर 1,92,21,996/– अंश/शेयर हैं। उनकी कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी में वर्ष 2000–01 से वर्ष 2006–07 के बीच भारत शासन की एफडीआई स्कीम के अंतर्गत इस कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में निवेश किया गया था जिसके दौरान उक्त कंपनी में श्री सुधीर चौपड़ा एवं श्री विवेक गुलाटी दो ही निदेशक थे। विवेक गुलाटी, अशोक कुमार खोसला के नजदीकी रिश्तेदार हैं।

7. एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के संचालक श्री अशोक कुमार खोसला द्वारा कंपनी में यू.एस. डालर 150 मिलियन (लगभग छः सौ करोड़ रुपये) तक निवेश करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली से स्वीकृति पत्र दिनांक 6/9–02–2004 को प्राप्त किया गया था और निवेश के लिए सभी स्वीकृतियां निवेशक अभियुक्त कंपनी से प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। श्री सुधीर चौपड़ा निदेशक उक्त अभियुक्त कंपनी में 20 प्रतिशत अंशधारक थे एवं श्री विवेक गुलाटी 80 प्रतिशत के अंशधारक थे।

8. श्री अशोक कुमार खोसला द्वारा सुनियोजित तरीके से श्री सुधीर चौपड़ा निदेशक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह जिसके पास 20 प्रतिशत अंश था उनके इन सभी अंशों को खरीद लिया तब से अशोक कुमार खोसला एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह अकेले मालिक बनने की कुटिल महत्वाकांछा रखने लगे थे और उसके द्वारा दिए गए उपरोक्त 150 मिलियन यू.एस.ए. डालर जानबूझकर निवेश नहीं करके उससे कम अंश राशि का निवेश प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी में किया गया जिससे उसकी विभिन्न योजनाओं पर न केवल गंभीर विपरीत असर पड़ा एवं वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा अपितु वे पूर्ण भी नहीं हो पाईं जिस पर मजबूर होकर एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह श्री विवेक गुलाटी एवं अशोक कुमार खोसला के विरुद्ध जिला न्यायालय भोपाल में नुक्सान पूर्ति एवं अन्य सहायता हेतु व्यवहार वाद दिनांक 19.

11.12 एवं 22.04.14 को दायर किया गया जो कि लंबित है। व्यवहार वाद दायर करने से पहले प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा वैधानिक सूचना पत्र दिनांक 21.08.12 को भी प्रेषित किया गया था जिसके भय से श्री विवेक गुलाटी ने कंपनी के निदेशक का पद दिनांक 17 सितम्बर, 2012 को पूर्णरूप से त्याग दिया इसके पश्चात् दिनांक 21.09.12 को श्री अशोक कुमार खोसला एकमात्र अंशधारक, पूर्ण मालिक एवं तथाकथित निदेशक एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह का बन गए।

9. अशोक कुमार खोसला द्वारा विवेक गुलाटी एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेष 80 प्रतिशत अंश को एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह के सरप्लस एवं रिजर्व एवं अन्य राशि का उपयोग करके "बाईबेक स्कीम" के तहत कंपनी द्वारा ही खरिदवाए गए क्योंकि अशोक कुमार खोसला द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी एवं पीपुल्स ग्रुप के अन्य दो कंपनियों को तहस–नहस कर उनको नष्ट करने का द्वेषवश एवं स्वयं के लोभपूर्ति हेतु सोचा–समझा षड्यंत्र बनाया गया जिस हेतु उनके द्वारा श्री विवेक गुलाटी के 80 प्रतिशत अंश को उक्त कंपनी द्वारा "बाईबेक"करवाया गया।

10. इस प्रकार अशोक कुमार खोसला द्वारा एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह जिसका नेटवर्थ लगभग 211 मिलियन यू.एस. डालर था के पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंधन को कूटरचित तरीके से अपनी मालिकी में ले लिया गया जिसके पीछे आशय था कि प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के पक्ष में जिला न्यायालय भोपाल द्वारा पारित होने वाली डिक्री की राशि को भुगतान न हो पाए। अशोक कुमार खोसला द्वारा परिवादी कंपनी के निदेशकों पर कई बार यह अनुचित दबाव डाला गया कि वह समीर खोसला को प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के निदेशक मण्डल में नामित करें जिससे आपराधिक षड्यंत्र रचकर झूंठे साक्ष्य एकत्रित कर प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी को नष्ट किया जा सके। उसकी उक्त मांग को अस्वीकृत की गई क्योंकि समीर खोसला का प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी से कोई संबंध नहीं था जिस कारण समीर खोसला प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी एवं उनके निदेशकों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखने लगे थे और जब अपने पिता अशोक कुमार खोसला के साथ भोपाल आते थे तो प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के निदेशकों से बात करते वक्त काफी क्रोधित होकर अपशब्दों का प्रयोग गाली–गलौज, जान से मारने की

धमकी एवं अशोभनीय बर्ताव करते थे तथा प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के निदेशकों को ब्लैकमेल करते थे एवं अनुचित दबाव डालते थे कि एलायंस इण्डस्ट्रीज एवं श्री अशोक कुमार खोसला के स्वयं द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी एवं पीपुल्स ग्रुप के अन्य दो कंपनियों में निवेशित राशि के मूल्य स्तर पर तुरंत वापिस करें अन्यथा उनके विरुद्ध विभिन्न प्राधिकरणों एवं न्यायालय के समक्ष परिवाद इत्यादि दायर करने की धमकी देते थे।

11. श्री समीर खोसला भी श्री अशोक कुमार खोसला एवं श्री विवेक कुमार गुलाटी के साथ मिलकर प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी एवं पीपुल्स ग्रुप की दो अन्य कंपनियों को पूर्णरूप से नष्ट करने की योजना बनाने में आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित हुए जिस कारण उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करना न्यायहित में होगा। अशोक कुमार खोसला द्वारा श्री विवेक गुलाटी एवं अन्यों से एक समझौता अनुबंध पत्र दिनांक 06.09.12 को निष्पादित किया गया था। उक्त समझौता अनुबंध पत्र निष्पादित करने के पूर्व प्रत्यथी/परिवादी कंपनी एवं एवं पीपुल्स ग्रुप की दो अन्य कंपनियों को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सहमति प्राप्त की गई। उक्त समझौता अनुबंध पत्र विधि विरुद्ध है।

12. श्री अशोक कुमार खोसला एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिब्राल्टर/शारजांह के मालिक एवं निदेशक बनने के पश्चात् प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी में निवेशित राशि की वापिसी हेतु अनावश्यक दबाव डालना शुरू किया गया जबकि प्रीमियम भुगतान की वापिसी हेतु भारतीय कानूनों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। अशोक कुमार खोसला एवं उनके पुत्र समीर खोसला द्वारा समय–समय पर परिवादी कंपनी के निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर गाली–गलौज एवं पूर्णतया अभद्र व्यवहार किया था एवं निवेशित राशि की वापिसी हेतु ब्लैकमेलिंग एवं डराने–धमकाने के कार्य भी किए गए थे। इस संबंध में अशोक कुमार खोसला द्वारा दिनांक 05.04.14 एक ई–मेल संदेश उस ग्रुप के अध्यक्ष को भेजते हुए उनकी सलाहकार द्वारा एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निवेशित राशि की वापिसी हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया था। तर्कसंगत न होने के कारण अमान्य किया गया था।

13. श्री अशोक कुमार खोसला द्वारा भारत शासन के मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स को दिनांक 19.06.14 एवं दिनांक 03.10.14 को प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी एवं उनके निदेशकों के विरुद्ध अशिष्ट व अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए शिकायत की गई थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ग्वालियर के द्वारा दिनांक 22.01.2015 को स्पष्टीकरण चाहा गया एवं प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी को सचेत किया गया। उक्त शिकायत में अशोक कुमार खोसला द्वारा प्रत्यर्थी /परिवादी कंपनी एवं उनके निदेशकों के विरुद्ध अशोभनीय एवं मानहानि होने जैसे निवेशित राशि का दुरुपयोग, उसको डायवर्ट करना एवं उन्हें धोखा देना, उन्हें बे वजह परेशान करना, मानसिक प्रताड़ना, चतुराई एवं कपटपूर्ण रास्ता अपनाना इत्यादि भाषा का प्रयोग किया गया।

14. श्री अशोक कुमार खोसला उनके तथाकथित निदेशक के माध्यम से कंपनी लॉ बोर्ड, मुम्बई में दिनांक 08 जनवरी, 2015 को प्रत्यर्थी/ परिवाादी कंपनी एवं उनके निदेशकों के विरुद्ध विभिन्न विधि विरुद्ध एवं असंवैधानिक मांग एवं सहायता हेतु पिटीशन दायर किया गया। उक्त पिटीशन में भी प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी एवं उनके सम्माननीय निदेशकों के विरुद्ध विभिन्न मनगढ़ंत एवं निराधार आरोप लगाए गए हैं। अशोक कुमार खोसला द्वारा की गई शिकायत दिनांक 19.06.14, 03.10.14 एवं दिनांक 22.01.15 एवं उस पर प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी द्वारा प्रेषित विस्तृत जवाब दिनांक 02.02.15 के संबंध में उनके उत्तर का इंतजार करते रहे परंतु प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी को कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिस पर उनको यह आभास हो गया कि अशोक कुमार खोसला उनके विरुद्ध गैरकानूनी एवं शरारतपूर्ण कार्यवाही कर सकते हैं इसलिए प्रत्यर्थी/ परिवादी कंपनी को कोई विकल्प न होने के कारण मजबूर होकर एक शिकायत पत्र दिनांक 02.02.2016 को थाना प्रभारी निशातपुरा को प्रेषित किया गया था जो उन्हें दिनांक 08.02.2016 को प्राप्त हुआ था।

15. उक्त शिकायत पत्र के साथ पीपुल्स ग्रुप भोपाल द्वारा पूर्व में प्रेषित दो अन्य शिकायत में दिनांक 09.04.12 एवं दिनांक 18.08.14 संलग्न की गई थी जो थाना निशातपुरा भोपाल द्वारा दिनांक 09.04.14 एवं दिनांक 18.08.14 को प्राप्त हो गई थी। परंतु उक्त तीनों शिकायत पत्रों के संबंध में थाना निशातपुरा भोपाल द्वारा

किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और न ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा बाहरी प्रभाव एवं दबाव के कारण किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

16. प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 02.02.16 के परिप्रेक्ष्य में थाना निशातपुरा द्वारा दिनांक 11.02.16, 12.02.16 को श्री अशोक कुमार खोसला, श्री विवेक कुमार गुलाटी एवं समीर खोसला को दिनांक 01.03.16 को थाना निशातपुरा भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र धारा 91, 160 के अंतर्गत जारी किया गया था परंतु उनके द्वारा जानबूझकर थाना निशातपुरा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बावजूद भी थाना निशातपुरा द्वारा आरोपियों को किसी प्रकार का अन्य कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई।

17. उक्त शिकायत पत्र पर श्री आई.एच. सिद्दीकी, प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के निदेशक एवं अशोक खुराना डायरेक्टर के बयान एवं ओ.एस. जौहर मुख्य सुरक्षा अधिकारी पीपुल्स ग्रुप एवं सुरेश नारायण विजयवर्गीय का बयान दर्ज कराया गया था किन्तु पुलिस के द्वारा न ही कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई।

18. प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी द्वारा दिनांक 02.02.16 की शिकायत पत्र के संबंध में डी.जी.पी. भोपाल के समक्ष भी दिनांक 13.02.17 को शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु तत्संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। नई दिल्ली ऑफिस में समय–समय पर हुई बैठक के दौरान पुनरीक्षणकर्तागण /अभियुक्तगण द्वारा बैठक में प्रत्यर्थी/परिवादी पक्ष के साथ गाली–गलौज कर अपमानित किया गया एवं अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 120बी सहपठित धारा 34, 177, 182, 191, 192, 196, 294, 350, 383, 405, 418 एवं 425 भा.दं.सं. के तहत संज्ञान लिए जाने का निवेदन किया गया।

19. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी डायरेक्टर पीपुल्स ग्रुप (अ.सा. 01) के धारा 200 एवं कर्नल अशोक खुराना (अ.सा. 02) तथा ओमेन्दर सिंह जौहर (अ.सा. 03) के धारा 202 दं.प्र.सं. का कथन लिपिबद्ध

कर दिनांक 11.01.18 को पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 182, 294, 383, 418 का संज्ञान लिये जाने का आदेश दिया गया है।

20. दोनों ही पुनरीक्षण याचिकाओं में पुनरीक्षण का जो आधार लिया गया है वह एक ही तरह का है और यह आधार दर्शित किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश शुद्धता, वैधता एवं औचित्य के प्रतिकूल है जो विधिक सिद्धांतों एवं वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य का कोई ध्यान नहीं रखा गया कि जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश किया गया है वास्तव में उन धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का तथ्य एवं साक्ष्य रिकार्ड पर है या नहीं और न ही अपने आदेश में तत्संबंध में कोई उल्लेख किया गया है। इस संबंध में भी कोई ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया कि भा.द.वि. की धारा 182 के तहत संज्ञान लिए जाने हेतु किसी सक्षम न्यायालय का कोई मत है या नहीं।

21. इसी तरह भा.द.वि. की धारा 294 के तहत जो संज्ञान लिया गया है जिस व्यक्ति को अपशब्द कहे गए हैं उस व्यक्ति का कोई कथन दर्ज नहीं किया गया है। धारा 383 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिए किस तरह से उद्दापन किया गया का कोई उल्लेख नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता विदेश में रहता है यदि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निवेश की गई छः सौ करोड़ रुपये की राशि को वापिस करने के उद्देश्य से यदि सक्षम प्राधिकारियों को विधि के अंतर्गत कोई शिकायत की गई है तो विधिक अधिकारों का प्रयोग करना क्या उद्दापन की श्रेणी में आता है? विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में भी ध्यान आकृष्ट नहीं किया है कि क्या छः सौ करोड़ रुपये निवेश करने वाला व्यक्ति धोखाधड़ी एवं छल कारित किया है। इस संबंध में भी कोई ध्यान आकृष्ट नहीं किया है कि छः सौ करोड़ रुपये निवेश करने के बाद और निवेश न करना क्या छल का अपराध बनता है?, क्या किसी व्यक्ति को विवश किया जा सकता है कि वह और अधिक निवेश करे? भा.द.वि. की धारा 182 के अंतर्गत अभियोजित किए जाने के लिए आवश्यक है कि इस हेतु परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार केवल उस शासकीय कर्मचारी को रहेगा जिसके समक्ष ऐसी शिकायत की गई थी।

22. प्रत्यर्थी/परिवादी को कोई अधिकार नहीं था कि वह धारा 182 भा.द.वि. के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करे और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना चिंतन किए ही अपराध को पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रत्यर्थी/परिवादी ने इस परिवाद के अतिरिक्त पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान् परिवाद में हैं।

23. एक ही तथ्यों के आधार पर दो परिवाद प्रस्तुत किया जाना एवं पंजीबद्ध किया जाना त्रुटिपूर्ण है। प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत परिवाद को वर्तमान् प्रस्तुत परिवाद में उसका कोई उल्लेख न करते हुए छिपाया गया है। पुनरीक्षणकर्ता कंपनी के डायरेक्टरों ने आपसी रूप से शेयरों को खरीद लिया है तो उसे चुनौती देने वाले प्रत्यर्थी/परिवादी कौन होता है इस संबंध में भी ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। यदि प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी को तयशुदा निवेश न करने से कोई व्यावसायिक हानि हुई है तो यह कृत्य आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं आता। विशेषकर इस बात की कोई साक्ष्य ही नहीं है कि कितनी राशि निवेश करने का आश्वासन दिया गया था।

24. प्रस्तुत परिवाद एवं कथन में अश्लील शब्द का कोई विवरण नहीं है जो कि भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध को पंजीबद्ध किए जाने के लिए आवश्यक है। सुरेश विजयवर्गीय जिनको अपशब्उद कहे जाने का उल्लेख किया गया है को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता अशोक कुमार खोसला के पांच पता को दर्शित करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सभी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया है। अर्थात् एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक ही धाराओं में पांच बार अपराध को पंजीबद्ध किए जाने का आदेश किया गया है जो विधि प्रतिकूल है।

25. पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण को परिवाद की जानकारी दिनांक 28.06.18 को उस समय हुई जब न्यायालय का समंस उसे प्राप्त हुआ था जिसके उपरांत आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 28.08.18 को प्रस्तुत किया गया और पुनरीक्षण याचिका नियमित समयावधि 90 दिवस के अंदर प्रस्तुत की गई है जो कि समयावधि में है और विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा

पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2018 को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्तागण /अभियुक्तगण के विरुद्ध जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है से उन्हें उन्मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

26. प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से यह तर्क किया गया है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका समयवधि के अंदर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश शुद्धता, वैधता एवं औचित्य के अनुकूल है जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता और प्रस्तुत दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकाओं के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> **क्या विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 11/01/2018 को पारित आलोच्य आदेश जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत भा.दं.सं. की धारा 182, 294, 383, 418 के तहत जो संज्ञान लिए जाने का आदेश किया गया है, शुद्धता, वैधता एवं औचित्य के प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किए जाने योग्य है ?**

सकारण निष्कर्ष

27. उभय पक्ष की तरफ से किए गए तर्क के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक–345/2018 के अभिलेख एवं तत्सबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11/01/2018 का विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया।

28. जहां तक प्रस्तुत दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को समयावधि के अंदर प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.18 से व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका क्र. 419/18 के पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा दिनांक 14.08.18 को एवं पुनरीक्षण याचिका क्र. 457/18 के पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका दिनांक 05.09.18 को प्रस्तुत की गई है। पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से पुनरीक्षण याचिका के साथ पुनरीक्षणकर्ता को प्रेषित सूचना पत्र के लिफाफे की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें पेशी दिनांक 10.08.18 का उल्लेख है।

29. ***परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 131*** के अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग के लिए न्यायालय में पुनरीक्षण इप्सित होने की समयावधि 90 दिन निर्धारित की गई है। अतः यदि उक्त नोटिस भेजने के संबंध में जो लिफाफे पर दिनांक 21.06.18 की जो तिथि लेख की गई है को मान्य किया जावे या पेशी दिनांक 10.08.18 जैसा कि उक्त लिफाफे की छायाप्रति पर जो लेख है को मान्य किया जावे तो उक्त दोनों ही परिस्थिति में पुनरीक्षण याचिका क्र. 419/18 जो कि दिनांक 14.08.18 को प्रस्तुत की गई है एवं पुनरीक्षण याचिका क्र. 457/18 जो कि दिनांक 05.09.18 को प्रस्तुत की गई है 90 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाना पाए जाने से उसे निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाता है। अतः इस संबंध में प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से जो पुनरीक्षण याचिकाओं को समयावधि में प्रस्तुत न होने का आधार लिया गया है वह अमान्य किया जाता है।

30. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराए जाने के संबंध में इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी डायरेक्टर पीपुल्स ग्रुप (अ.सा. 01) के धारा 200 एवं कर्नल अशोक खुराना (अ.सा. 02) तथा ओमेन्दर सिंह जौहर (अ.सा. 03) के धारा 202 दं.प्र.सं. का कथन कराया गया है। इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी का कहना है कि वह पीपुल्स ग्रुप का शेयर होल्डर है एलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कीमती धातु से संबंधित कारोबार करती है जिसका हेड ऑफिस जिब्राल्टर यू.ए.ई. में है तथा इसका ब्रांच ऑफिस शारजांह में है। एलायंस इण्डस्ट्रीज के कुल अंश का 80 प्रतिशत शेयर विवेक गुलाटी के पास था तथा 20 प्रतिशत सुधीर चौपड़ा के पास था।

31. भारत सरकार द्वारा संचालित एफडीआई स्कीम के तहत परिवादी कंपनी तथा अभियुक्त कंपनी के मध्य करार हुआ था। परिवादी कंपनी से अभियुक्त कंपनी के निदेशक सुधीर चौपड़ा तथा विवेक गुलाटी के द्वारा उक्त करार किया गया था जिसमें परिवादी कंपनी को अभियुक्त कंपनी द्वारा 150 मिलियन डॉलर जो लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि होती थी का निवेश किए जाने का अनुबंध किया था। यह अनुबंध इक्विटी शेयर कैपिटल के निवेश के रूप में निवेशित किया था। अभियुक्त कंपनी द्वारा परिवादी कंपनी में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक तथा वर्ष

2008 एवं 2009 में भी कुछ राशि दो कंपनी में निवेश की थी जो कुलमिलाकर 400 करोड़ रुपये होती थी। वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में जो राशि निवेश की थी वह पीजीएच इंटरनेशनल एवं पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विशेस में निवेश किया था। वर्ष 2008 एवं 2009 में उपरोक्त दोनों कंपनियों में निवेश की गई राशि अनुबंधित शर्तों के अनुसार की थी। यह अनुबंध लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि निवेशित किए जाने तक था और अनुबंध की शर्तों के अनुसार अभियुक्त कंपनी को आवश्यक रूप से 600 करोड़ रुपये परिवादी कंपनी में निवेश किया जाना था।

32. वर्ष 2009 के बाद अभियुक्त कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार कोई भी निवेश परिवादी कंपनी में नहीं किया। अभियुक्त के रूप में उल्लिखित अशोक कुमार खोसला का वर्ष 2009 तक परिवादी कंपनी तथा अभियुक्त कंपनी से कोई संबंध नहीं था। अभियुक्त कंपनी के डायरेक्टर सुधीर चौपड़ा के 20 प्रतिशत शेयर अशोक कुमार खोसला द्वारा खरीदकर अभियुक्त कंपनी में प्रवेश किया गया इसके पश्चात् अशोक कुमार खोसला, विवेक गुलाटी के 80 प्रतिशत शेयर कंपनी से बाईबेक के माध्यम से लेकर अभियुक्त कंपनी का एकमात्र डायरेक्टर एवं अकेले मालिक बन गया जो परिवादी कंपनी को नुक्सान पहुंचाने एवं उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिए जिसमें विवेक गुलाटी भी षड्यंत्र में शामिल थे।

33. अभियुक्त कंपनी के मालिक अशोक कुमार खोसला व विवेक गुलाटी, समीर खोसला जो अशोक कुमार खोसला के पुत्र हैं को फरियादी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में अवैधानिक रूप से शामिल कराना चाहते थे जो परिवादी कंपनी के लिए संभव नहीं था। अशोक कुमार खोसला अपने पुत्र समीर खोसला को लेकर कई बार पीपुल्स ग्रुप में आए और उस पर व अन्य डायरेक्टर पर व चेयरमैन पर अपने पुत्र को परिवादी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में शामिल करने हेतु अनुचित रूप से दबाव डाला और घमकी दी। जब परिवादी कंपनी द्वारा उन्हें इस हेतु समझाया गया कि उनके पुत्र को परिवादी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में वैधानिक रूप से नहीं ले सकते हैं तब अशोक कुमार खोसला व उनके पुत्र समीर खोसला द्वारा उससे व कंपनी के डायरेक्टरों व चेयरमैन से कंपनी में निवेशित राशि अनाधिकृत रूप से वापिस लेने हेतु दबाव डालने लगे और इस हेतु जान से मारने की धमकी एवं गाली–गलौज कई बार की। कई बार बिना किसी हैषियत के कि

समीर खोसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एवं चेयरमैन के साथ गाली–गलौज की।

34. परिवादी कंपनी द्वारा अभियुक्त कंपनी को शेष राशि जो निवेश की जानी थी उक्त राशि निवेश किए जाने हेतु दिनांक 21.08.12 को सूचना पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि अभियुक्त कंपनी द्वारा बकाया पैसा निवेश न किए जाने से परिवादी कंपनी को किस प्रकार का नुक्सान हो रहा है उक्त नोटिस में परिवादी कंपनी द्वारा अभियुक्त कंपनी से क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की गई थी।

35. अभियुक्त कंपनी को उक्त सूचना पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत अशोक कुमार खोसला बदनियतवश मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट के समक्ष परिवादी कंपनी की झूंठी शिकायत की थी। उक्त शिकायत दिनांक 19.06.14 एवं दिनांक 03.10.14 को दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ग्वालियर को प्रेषित कर दी गई थी जिनके द्वारा कंपनी का अफेयर्स चलता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ग्वालियर द्वारा उसे सूचना भेजकर कुछ जानकारी मांगी थी। उक्त जानकारी विस्तृत रूप से उसकी कंपनी द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2015 को भेज दी गई थी। उसके द्वारा प्रेषित जवाब से संतुष्ट होकर अशोक कुमार खोसला की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

36. अशोक कुमार खोसला द्वारा अभियुक्त कंपनी की ओर से परिवादी कंपनी के विरुद्ध कंपनी लॉ बोर्ड बम्बई में पिटिशन प्रस्तुत किया गया था जिसमें परिवादी कंपनी के विरुद्ध सात झूंठे आरोप लगाए गए थे। उक्त प्रकरण में उसकी कंपनी द्वारा अपना पक्ष कम्पनी लॉ बोर्ड के समक्ष रख दिया गया था जो विचाराधीन है। उसके द्वारा लीगल नोटिस अभियुक्त कंपनी को दिया गया था। उक्त नोटिस के उपरांत उसके द्वारा दो सिविल केस भोपाल न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध दाखिल किए गए थे जो विचाराधीन है जिसकी सूचना विवेक गुलाटी को होने के उपरांत विवेक गुलाटी अभियुक्त कंपनी के निदेशक पद से अपने दायित्व से बचने के लिए हट गए थे।

37. उपरोक्त समस्त घटना के संबंध में परिवादी कंपनी की ओर से थाना निशातपुरा में दिनांक 09.04.12 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। उसके उपरांत लिखित शिकायत दिनांक 18.08.14 एवं दिनांक 02.02.16 को प्रस्तुत की गई थी जिस पर निशातपुरा थाना के द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिसके संबंध में उसकी कंपनी के द्वारा अभियुक्त कंपनी के विरुद्ध डीजीपी एवं तत्कालीन गृह मंत्री को भी इस संबंध में शिकायत की गई थी किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके कंपनी के सम्मानित निदेशकों एवं चेयरमैन से अभियुक्त कंपनी के अशोक कुमार खोसला एवं विवेक गुलाटी तथा उसके पुत्र समीर खोसला द्वारा की गई अभद्रता, गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग तथा निवेशित पैसा वापिस प्राप्त करने हेतु परिवादी कंपनी के खिलाफ किए गए आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है।

38. उक्त कथन के अतिरिक्त इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी आवेदक साक्षी क्र. 01 के द्वारा अन्य कोई कथन नहीं किया गया है।

39. अशोक खुराना आवेदक साक्षी क्र. 02 का धारा 202 दं.प्र.सं. के किए गए कथन में उसका कहना है कि वह पीपुल्स ग्रुप में डायरेक्टर प्लानिंग के रूप में कार्य कर रहा है। अक्टूबर, 2013 की बात है श्री अशोक खोसला एवं समीर खोसला भोपाल आए थे और उनकी मीटिंग उसके पीपुल्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश विजयवर्गीय एवं विजय के साथ हुई थी जो सुरेश विजयवर्गीय के ऑफिस में हुई थी। वह उस समय सुरेश विजयवर्गीय के ऑफिस में किसी काम से गया था तब मीटिंग चल रही थी। उस समय वह देखा कि अशोक खोसला एवं समीर खोसला अचानक से जोर–जोर से उत्तेजित होकर बोलने लगे थे और उनके द्वारा सुरेश विजयवर्गीय के साथ अशोक खोसला एवं समीर खोसला ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने लगे और उनके द्वारा पीपुल्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश विजयवर्गीय को जान से मारने की धमकी दी।

40. अशोक खोसला यह चाहते थे कि उनके पुत्र समीर खोसला को पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर का पद दिलाया जावे। चूंकि यह कंपनी के नियमों के विरुद्ध था जिस कारण सुरेश विजयवर्गीय द्वारा

अशोक खोसला की बात मानने से इंकार कर दिया गया था जिस कारण अशोक खोसला एवं समीर खोसला उत्तेजित होकर अभद्र व्यवहार कर रहे थे। अशोक खोसला एवं समीर खोसला के जोर–जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओ.एस. जौहर भी वहां आ गए थे। उन दोनों ने मिलकर बीचबचाव किया था तथा अशोक खोसला एवं समीर खोसला को समझाने की कोशिश की और उन दोनों को विजयवर्गीय साहब के ऑफिस से बाहर लेकर गए थे।

41. लगभग एक वर्ष बाद अशोक खोसला एवं समीर खोसला दिनांक 18.08.14 को पुनः भोपाल में कंपनी मीटिंग के लिए उसकी कंपनी के ऑफिस में आए थे। उक्त दिनांक को भी उनकी सुरेश विजयवर्गीय साहब के साथ मीटिंग थीह और उक्त मीटिंग विजयवर्गीय साहब के ऑफिस में होनी थी जिसमें वह पहले से उपस्थित था। अशोक खोसला द्वारा पुनः समीर खोसला को डायरेक्टर का पद दिलाए जाने के लिए विजयवर्गीय साहब पर दबाव डाला किन्तु उनके द्वारा पुनः कंपनी के नियमों का हवाला देकर मना किए जाने पर अशोक खोसला एवं समीर खोसला द्वारा उत्तेजित होकर दुबारा विजयवर्गीय साहब के साथ अभद्र व्यवहार और गाली–गलौज की गई और उन्हें देख लेने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस बार भी अशोक खोसला एवं समीर खोसला के अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने को वह तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी ओ.एस. जौहर द्वारा देखा एवं सुना गया। वह, जौहर व साहब ने मिलकर विजयवर्गीय साहब के ऑफिस से उन्हें बाहर ले गए थे। इस घटना की लिखित सूचना लिखित रूप में निशातपुरा थाने को दी गई थी जिस पर निशातपुरा थाना द्वारा उसके तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी आ.एस. जौहर के कथन भी लिए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी उसको बुलाकर उक्त घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लिया गया था किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त कथन के अतिरिक्त इस साक्षी के द्वारा अन्य कोई कथन नहीं किया गया है।

42. ओमेन्द्र सिंह जौहर आवेदक साक्षी क्र. 03 का दं.प्र.सं. की धारा 202 के तहत दिए गए कथन में कहना है कि वह वर्ष 2013 में पीपुल्स ग्रुप में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अशोक कुमार खोसला एवं समीर खोसला को

अच्छी तरह से जानता है जो उसकी कंपनी के चेयरमैन हैं। सुरेश विजयवर्गीय के पास आते रहते थे। उसकी जानकारी में अशोक खोसला अपने पुत्र समीर खोसला को कंपनी में डायरेक्टर का पद दिलाने हेतु वर्ष 2012 के पूर्व से दबाव बना रहे थे। दिनांक 09.04.13 को श्री अशोक कुमार खोसला श्री समीर खोसला श्री विजयवर्गीय साहब से रामनगर, दिल्ली की प्रापर्टी जो पीपुल्स ग्रुप का गेस्ट हाउस है के पेपर्स देखने के लिए उससे मांगे थे और वह सुरेश विजयवर्गीय साहब के कहने पर वह पेपर उन्हें देखने के लिए दे दिया था। श्री अशोक खोसला ने उक्त पेपर उसे वापस जाते समय उसे लौटाए नहीं और उसके द्वारा वापिस मांगने पर अशोक खोसला ने कहा कि वह अब इसका मालिक बनने वाला है। उक्त दिनांक को अशोक खोसला श्री सुरेश विजयवर्गीय साहब से 09 चैक लेकर गए थे। उसके द्वारा उक्त संबंध में थाना निशातपुरा में रिपोर्ट लिखित में दी थी। दिनांक 09.04.12 को ही रिपोर्ट की थी।

43. दिनांक 08.10.13 को ही अशोक कुमार खोसला एवं उनका पुत्र श्री समीर खोसला श्री विजयवर्गीय साहब के ऑफिस में मीटिंग के लिए आए थे। वह मीटिंग में मौजूद नहीं था लेकिन चिल्ला–चोट एवं जोर–जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां गया था। अंदर जाकर देखा तो श्री अशोक कुमार खोसला श्री समीर खोसला श्री विजयवर्गीय साहब के साथ गाली–गलौज व धमकी दे रहे थे। उसके द्वारा समझाइश देने पर दोनों शांत हो गए थें। वर्ष 2013 की घटना की रिपोर्ट नहीं की गई थी। उसके बाद अगस्त, 2014 में वापिस मीटिंग के लिए श्री अशोक कुमार खोसला श्री समीर खोसला दोनों आए थे और उनकी मीटिंग शुरू होने के बाद बहस व चिल्ला–चोट होने लगी। वह देखा कि अशोक खोसला श्री समीर खोसला को डायरेक्टर बनाने के लिए श्री विजयवर्गीय साहब पर जोर देकर चिल्ला–चोट कर रहे थे। विजयवर्गीय साहब ने समीर खोसला को डायरेक्टर बनाने में मजबूरी बताई तो समीर खोसला भी जोर–जोर से चिल्लाकर अपमानजनक अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

44. उसके द्वारा गार्ड बुलाने की बात सुनकर श्री अशोक कुमार खोसला एवं श्री समीर खोसला बाहर चले गए और देख लेने तथा बर्बाद करने की बात कह रहे थे जिसके संबंध में उक्त घटना की लिखित शिकायत थाना निशातपुरा को उसके द्वारा विधिवत की गई थी। उक्त रिपोर्ट श्री सिद्दीकी की रिपोर्ट पर थाना निशातपुरा द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

45. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त कथनों के आधार पर भा.द.वि. की धारा 182, 294, 383, 418 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश किया गया है।

46. **भा.द.वि. की धारा 182 में दिया गया प्रावधान इस प्रकार है :–**

> जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी इत्तिला, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक–सेवक को प्रेरित करे या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको एतद्द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक –
>
> क. कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी इत्तिला दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा
>
> ख. ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

47. **इस संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 195 में दिये गये सुसंगत प्रावधान का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है जो इस प्रकार है** :–

> 195 :– लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक–सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन ––1. कोई न्यायालय ––
>
> क. (i) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से 188 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) अधीन दण्डनीय किसी अपराध, अथवा

(ii) ऐसे अपराध के किसी पुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, अथवा

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, संज्ञान संबद्ध लोक–सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक–सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित् परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही;

48. **<u>भा.द.वि. की धारा 294 में दिया गया प्रावधान इस प्रकार है</u>** :–

अश्लील कार्य और गाने –– जो कोई ––

(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा

(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

49. **<u>भा.द.वि. की धारा 383 में दिया गया प्रावधान इस प्रकार है</u>** :–

383. उद्दापन – जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में साशय डालता है, और एतद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह ''उद्दापन'' करता है।

50. **<u>भा.द.वि. की धारा 418 में दिया गया प्रावधान इस प्रकार है :–</u>**

418. इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है– जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभाव्य है कि वह तद्द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा, या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, यो दोनों से दंडित किया जाएगा।

51. प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से इस आशय का तर्क किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को केवलय यह देखा जाना था कि प्रथम दृष्ट्या पुनरीक्षणकर्तागण /अभियुक्तगण के द्वारा अपराध किया जाना दर्शित हो रहा है या नहीं और

पुनरीक्षण न्यायालय को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में ***मलयाकेल अब्राहम ज्वाय और अन्य विरुद्ध जॉन राफेल (2005) 5 एमपीएचटी 120*** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एवं ***श्रीमती नगवा विरुद्ध वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोनजालगी और अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 99/1976 में निर्णय दिनांक 23.04.76*** की इंटरनेट से प्राप्त प्रति एवं ***टी. पार्थसारथी और अन्य, विरुद्ध श्रीमती मधू संगल (1992) क्रिमिनल लॉ जर्नल 26*** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है।

52. वहीं पुनरीक्षणकर्तागण /अभियुक्तगण की तरफ से अपने किए गए तर्क के संबंध में ईशाक इसंगा मुसुम्बा और अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ***(2014) 15 सुप्रीम कोर्ट केसेस 357*** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा भा.द.वि. की धारा 383, 384, 441 की व्याख्या करते हुए यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब तक संपत्ति को अभियुक्त को दी गई धमकी के परिप्रेक्ष्य में प्रदाय नहीं किया जाता तब तक उद्दापन का अपराध आकर्षित नहीं होता और उसके आधार पर भा.द.वि. की धारा 384 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय में यह भी न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य व्यापारिक संव्यवहार होना स्थापित है और उसके परिप्रेक्ष्य में यदि याचिकाकर्ता परिवादी के परिसर में जाकर अपने ड्यूज की मांग करता है तो उसके आधार पर यह मान्य नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा आपराधिक अतिचार कारित किया गया है।

53. अन्य न्याय दृष्टांत ***वेशा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य विरुद्ध केरला राज्य और अन्य, 2015 (1) एमपीडब्ल्यूएन 146*** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा भा.द.वि. की धारा 417, 418, 420, 120बी और 34 तथा दं.प्र.सं. की धारा 482 की व्याख्या करते हुए यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि– ऋण की रकम का निपटारा करने का मामला–संविदा का प्रत्येक भंग छल के अपराध को उत्पन्न नहीं करेगा–छल के लिए अभियुक्त व्यक्तियों का कोई आशय दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं–भा.दं.वि. की धारा 420 के

अधीन अपराध के लिए आशय पुरोभाव्य शर्त है—परिवाद किसी अपराध को प्रकट नहीं करता—अतः दांडिक कार्यवाहियों अभिखण्डित की गई।

54. अन्य न्याय दृष्टांत ***मेसर्स थरमैक्स लिमिटेड और अन्य विरुद्ध के.एम. जॉनी और अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 1868/2011*** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 27 सितम्बर, 2011 की इंटरनेट से प्राप्त प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मात्र परिवाद में छल किया जाना लेख किए जाने से छल का अपराध कारित किया जाना मान्य नहीं किया जा सकता और इस संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अपराध पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

55. अन्य न्याय दृष्टांत ***आशू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2014 (II)*** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है जिसमें भा.द.वि. की धारा 294 की व्याख्या करते हुए यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अपीलार्थी ने परिवादिनी को गाली दी—लेकिन अपीलार्थी द्वारा कहे गए शब्द संदेह से परे अश्लील शब्द होना साबित नहीं—अपीलार्थी सिद्धदोष नहीं किया जा सकता। अन्य न्याय दृष्टांत ***मुन्नीलाल लोधी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007 (III) एमपीडब्ल्यूएन 79*** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भा.द.वि. की धारा 294 के संबंध में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि उसके प्रति उच्चारित गालियों का अर्थ स्वयं ज्ञात नहीं—अपराध सिद्ध नहीं। अन्य न्याय दृष्टांत संतोष बक्सी विरुद्ध पंजाब राज्य और अन्य, ***2014 (II) एमपीडब्ल्यूएन 120*** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा भा.द.वि. की धारा 182 के अपराध के संबंध में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि—अन्वेषक अभिकरण यह दर्शाने में विफल रहा कि अपीलार्थी को ज्ञान था कि दी गई सूचना मिथ्या है—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के संघटक साबित नहीं—अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के अधीन कार्यवाहियां अभिखंडित की गई।

56. अन्य न्याय दृष्टांत ***सलोनी अरोरा विरुद्ध एनसीटी ऑफ देल्ही राज्य, 2017 (I) एमपीडब्ल्यूएन 71*** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय न्यायाल द्वारा भा.द.वि. की धारा 182 एवं दं.प्र.सं. की धारा 195 की व्याख्या करते हुए यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 182 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करते समय– दं.प्र.सं. की धारा 195 के अधीन विहित आज्ञापक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया–अतः ऐसी कार्यवाही आरंभ से शून्य बन जाती है।

57. विद्वान विचारण न्यायालय के आर.टी. प्रकरण क्र. 345/18 के अभिलेख एवं पुनरीक्षणकर्ताण की तरफ से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में उनका जो पता दर्शित किया गया है से यह स्पष्ट है कि उनका निवास स्थान भारत के बाहर का है और पुनरीक्षण याचिका क्र. 419/18 के पुनरीक्षणकर्तागण जिनमें उनका नाम अशोक कुमार खोसला लेख है वह एक ही व्यक्ति होकर उनका विभिन्न पता दर्शित किया गया है। इस संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 202 में दिए गए सुसंगत प्रावधान का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है जो इस प्रकार है :–

> **आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना**––(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है तो [1][और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है, जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है] अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और वह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्तू आधार है अथवा नहीं, या तो स्वग्रं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है :

58. पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण का जो निवास स्थान दर्शाया गया है के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उक्त स्थान विद्वान विचारण न्यायालय के अधिकारिता के क्षेत्र का नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से प्रस्तुत परिवाद पर उसकी अन्वेषण हेतु किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझता है अनवेषण के लिए

निदेश किया गया हो ऐसा परिलक्षित नहीं होता है और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष मात्र प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है के ही आधार पर संज्ञान लिया गया है। जबकि स्वयं प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा थाना निशातपुरा में शिकायत की गई थी तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था किन्तु पुलिस द्वारा प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

59. अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांतों एवं पुनरीक्षणकर्ता–गण/अभियुक्तगण के विरुद्ध जिन अपराधों के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया है, में दर्शित आवश्यक तत्वों तथा अपराध पंजीअबद्ध किए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से जिन साक्षियों का धारा 200 एवं 202 दं.प्र.सं. में कथन कराया गया है उसमें ओमेन्दर सिंह जौहर के द्वारा अपने कथन में बतलाया गया है कि उसकी कंपनी के चेयरमैन श्री सुरेश विजयवर्गीय साहब के पास अशोक कुमार खोसला एवं समीर खोसला आते–रहते थे। दिनांक 08.10.13 को अशोक कुमार खोसला एवं उनका पुत्र समीर खोसला श्री विजयवर्गीय साहब के ऑफिस में मीटिंग के लिए आए थे। चिल्लाचोट व जोर–जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां गया और अंदर जाकर देखा कि अशोक कुमार खोसला, श्री समीर खोसला विजयवर्गीय साहब के साथ गाली–गलौज व धमकी दे रहे थे। अशोक खुराना आवेदक साक्षी क्र. 02 का कहना है कि अक्टूबर, 2013 की बात है पीपुल्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश विजयवर्गीय एवं विजय के साथ अशोक खोसला एवं समीर खोसला की मीटिंग सुरेश विजयवर्गीय के ऑफिस में थी। वह देखा कि अशोक खोसला एवं समीर खोसला अचानक से उत्तेजित होकर जोर–जोर से बोलने लगे और उनके द्वारा सुरेश विजयवर्गीय के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने लगे और पीपुल्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश विजयवर्गीय को जान से मारने की धमकी भी दी।

60. इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी अ.सा. 01 का कहना है कि अशोक कुमार खोसला और उसके पुत्र समीर खोसला द्वारा उससे व कंपनी के डायरेक्टरों एवं चेयरमैन से कंपनी में निवेशित राशि अनाधिकृत रूप से वापिस लेने के लिजए दबाव डालने लगे इस हेतु जान से मारने की धमकी व गाली–गलौज कई बार की। कई बार बिना किसी हैषियत के समीर खोसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं चेयरमैन के साथ गाली–गलौज की। प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से सुरेश विजयवर्गीय एवं विजय का कोई कथन नहीं कराया गया है और प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से जो कथन किया गया है उसमें इस तथ्य का कोई खुलाशा नहीं किया गया है कि पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के द्वारा किन अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या मीटिंग स्थल जिसे पीपुल्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश विजयवर्गीय एवं विजय की ऑफिस होना बतलाया गया है वह लोक स्थल है। जो कि भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध को पंजीबद्ध करने के लिए आवश्यक तत्व है।

61. भा.द.वि. की धारा 182 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिए जाने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 195 की मंसा के अनुरूप लोक–सेवक द्वारा लिखित शिकायत किया जाना आवश्यक है जबकि इस संबंध में किसी लोक–सेवक द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के संबंध में धारा 182 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कराए जाने के संबंध में कोई लिखित शिकायत कराई गई हो ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है।

62. प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण एवं प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी के मध्य अनुबंध पत्र निवेश किए जाने के संबंध में निष्पादित होना बतलाया गया है किन्तु कोई अनुबंध पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किया जाना एवं प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित नहीं होता। स्वयं प्रत्यर्थी/परिवादी इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी के द्वारा अपने कथन में यह बतलाया गया है कि अभियुक्त कंपनी द्वारा परिवादी कंपनी में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक तथा वर्ष 2008 एवं 2009 में कुछ राशि दो कंपनी में निवेश की गई थी जो कुलमिलाकर 400 करोड़ रुपये होती थी।

63. अनुबंध लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि निवेशित किए जाने तक था और अनुबंध की शर्तों के अनुसार अभियुक्त कंपनी को 600 करोड़ रुपये परिवादी कंपनी में निवेश किया जाना था। अतः यदि उक्त कथन को मान्य किया जावे तो क्या पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण की कंपनी जिसके कि द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी में लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था के संबंध में प्रत्यर्थी/परिवादी से वार्तालाप किए जाने या उक्त राशि को मांगने का या उक्त राशि के संबंध में विधिक कार्यवाही किए जाने का कोई अधिकार नहीं था? और यदि उक्त मांग की गई तो क्या वह उद्दापन की श्रेणी में आएगा या इतनी राशि निवेश किए जाने के पश्चात् उसके द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी के साथ छल किया जावेगा?

64. पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के द्वारा की गई मांग या कथित दिए गए दबाव के आधार पर प्रत्यर्थी/परिवादी कंपनी द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण/ अभियुक्तगण को कोई राशि अदा की गई हो जो कि उद्दापन की कोटि में आती हो, तत्संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। अतः प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से जो इश्त्याक हुसैन आ.सा. 01 एवं अशोक खुराना आ.सा. क्र. 02 एवं ओमेन्द्र सिंह जौहर आ.सा.03 के द्वारा जो पुनरीक्षणकर्ता अशोक कुमार खोसला का विभिन्न पता दर्शित करते हुए उसके नाम का उल्लेख करते हुए जो पांच बार एवं समीर खोसला के संबंध में जो परिवाद एवं कथन किया गया है उसके आधार पर माननीय न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत जो पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं, के परिशीलन एवं की गई उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर विद्यमान परिवाद एवं प्रत्यर्थी/परिवादी की तरफ से इश्त्याक हुसैन सिद्दीकी आ.सा0. 01 के धारा 200 एवं अशोक खुराना आसा. 02 एवं ओमेन्द्र सिंह जौहर आ.सा. 03 के धारा 202 दं.प्र.सं. के कथन के आधार पर किसी भी तरह से पुनरीक्षण क्र. 419/18 के पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण अशोक कुमार खोसला एवं पुनरीक्षण याचिका क्र. 457/18 के पुनरीक्षणकर्ता समीर खोसला के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या भा.द.वि. की धारा 182, 294, 383, 418 के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने का कोई पर्याप्त आधार होना परिलक्षित नहीं होता और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त

पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण अशोक कुमार खोसला एवं समीर खोसला के विरुद्ध अपने पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.18 के द्वारा उनके विरुद्ध जो भा.द.वि. की धारा 182, 294, 383, 418 के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने का जो आदेश किया गया है वह शुद्धता, वैधता एवं औचित्य के प्रतिकूल होने की वजह से स्थिर रखे जाने योग्य होना परिलक्षित नहीं होता।

65. पक्षाकारों के मध्य जो भी विवाद है वह सिविल प्रकृति का है। अतः उक्त पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण अशोक कुमार खोसला एवं समीर खोसला के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.01.18 के पारित आलोच्य आदेश के द्वारा उनके विरुद्ध जो भा.द.वि. की धारा 182, 294, 383, 418 के अंतर्गत जो संज्ञान लिया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य न होने से उसे अपास्त किया जाता है। उपरोक्तानुसार दोनों ही पुनरीक्षण याचिका क्र. 419/18 एवं 457/18 को स्वीकार किया जाता है।

66. आदेश की एक–एक प्रति पुनरीक्षण याचिका क्र. 419/18 एवं 457/18 के साथ संलग्न की जावे तथा आदेश की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का दांडिक प्रकरण क्रमांक 345/18 का अभिलेख सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

भोपाल
दिनांक 25.02.2019

मेरे बोलने पर टंकित।

(**चन्द्रदेव शर्मा**)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के
के द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश भोपाल

(**चन्द्रदेव शर्मा**)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालय
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश भोपाल

Digitally signed by CHANDRA DEO SHARMA
Date: 2019.02.25 16:27:00 -08'00'